Appeal for MPVV Vidyapeeth Gurukul & CSR fund under Corporate Social Responsibility

MPVV Vidyapeeth Gurukul - CSR निधि हेतु निवेदन

महर्षि पाणिनि वेद–वेदांग विद्यापीठ गुरुकुल (MPVV Vidyapeeth Gurukul)

भारतीय मनीषियों की हमेशा से ही यह धारणा रही है कि शिक्षा सामाजिक जीवन की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। शिक्षा का सामाजिक परिस्थितियों से सामंजस्य होने से शिक्षा पद्धति का भी देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशील होना आवश्यक है। साथ ही प्राचीन परंपराओं एवं संस्कृति, राष्ट्रीय मूल्यों के साथ साथ नैतिक मूल्यों के प्रति आदर भाव भी होना आवश्यक है। प्रचलित शिक्षा पद्धति के प्रति अध्यापकों, शिक्षाशास्त्रियों एवं दार्शनिक विचारकों के आधार पर ही हम आधुनिक शिक्षा पद्धति से समन्वित गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली प्रारंभ करने के उद्देश्य से ही भारतीय न्यास पंजीकृत अधिनियम 1882 के अंतर्गत महर्षि पाणिनि धर्मार्थ ट्रस्ट (रजि.) संख्या 4/1620 में पंजीकृत किया गया।

ट्रस्ट के मूलभूत उद्देश्यों में सम्मिलित एक उद्देश्य भारतीय प्राचीनज्ञान परंपरा को संरक्षित संरक्षित एवं संवर्धित करने के उद्देश्य से विभिन्न वर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रों के लोग भारतीय ज्ञान परंपरा एवं नैतिक मूल्यों के प्रति श्रद्धाभाव प्रदान कर सनातन संस्कृति में उनकी रुचि को पूर्ण रूप प्रदान करने के उद्देश्य से ट्रस्ट ने एक गुरुकुल पद्धति से विद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया है जिसमें उन सभी अलग–अलग क्षेत्रों की संस्कृति का आपसी समन्वय हो सके एवं समाजिक,आर्थिक एवं अन्य किसी प्रकार से वंचित वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा– दीक्षा सुचारू रूप से चल सके और वे संस्कारित हो भारतीय संस्कृति के वाहक बने, इसके लिए महर्षि पाणिनि वेद–वेदांग विद्यापीठ (गुरुकुल) नाम से एक संस्था प्रारंभ की।

ऋग्वेद की 2, शाखा यजुर्वेद की 101, शाखा सामवेद की 1000 शाखा और अथर्ववेद के 9 शाखा कुल 1131 शाखाएं महर्षि पतंजलि के समय में स्वर वेद पाठपरंपरा में थी। समय के साथ ही इन शाखाओं की बड़ी संख्या विलुप्त हो गई और वर्तमान में केवल 9–10 शाखाएं बची हैं, जिनमें ऋग्वेद में 1, यजुर्वेद में 4, सामवेद में 3 और अथर्ववेद में 2 शाखाएं ही सस्वर वेद पाठपरंपरा में बची हैं। इन 9–10 शाखाओं के संबंध में भी, बहुत कम ऐसे प्रतिनिधि सस्वर वेदपाठी बचे हैं जो अपने विशुद्ध प्राचीन और पूर्ण रूप में मौखिक/सस्वर वेद पाठ/वेद ज्ञान परंपरा को संपूर्ण संरक्षित रख रहे हैं। उसमें भी उत्तर भारत में केवल शुक्ल यजुर्वेद की मध्यांदिन शाखा की विशेष रूप से प्रचलित है।

UNESCO ने वेद पाठ की श्रुति परंपरा को वैश्विक धरोहर में गणना की है वेदों के उच्चारण को अमूर्त विश्व विरासत की सूची में (WORLD INTANGIBLE HERITAGE) यूनेस्को – मानवता की सांस्कृतिक विरासत/विश्व मौखिक विरासत में मान्यता मिली है।

महर्षि पाणिनि धर्मा ट्रस्ट (रजि.) द्वारा संचालित महर्षि पाणिनि वेद–वेदांग विद्यापीठ (गुरुकुल) में गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति में निर्धारित उद्देश्य हैं :–

1 वैदिक वांग्मय का अध्ययन एवं अनुशीलन
2 शारीरिक विकास एवं चारित्रिक विकास
3 मानवीय मूल्यों की अवधारणा को विकसित करना और आचरण में उतारना
4 वैयक्तिक और सामाजिक विकास करना
5 आध्यात्मिक विकास करना
6 भारतीय संस्कृति के विकास के लिए शिक्षा प्राप्त कराना
7 प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए शिक्षा
8 गोपालन और पशु पक्षी एवं जीव जीव जगत का प्रारंभिक परिचय

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्कृत का अन्य विषयों के साथ वेद (शुक्लयजुर्वेद माध्यदिनीय शाखा) के साथ ही शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष (वेद के 6 अंगों) के अध्ययन की उपलब्धता प्राप्त कराना है।

वर्ष 2013 से ही महर्षि पाणिनि धर्मार्थ ट्रस्ट (रजि.) द्वारा संचालित गुरुकुल वेदों के स्वर पाठ परंपराओं के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षा से वंचित, आधुनिक प्रणाली की शिक्षा से दूर, संसाधनों के अभाव के कारण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध नही होती है, ऐसे बालकों के लिए शुभ अवसर प्रदान करने में योगदान दे रहा है।

वर्तमान में गुरुकुल में 40 छात्र तीन श्रेणियों (प्रवेशिका, मध्यमा तथा पूर्व मध्यमा) में अध्ययनरत हैं। अध्ययनरत छात्रों के आवास, भोजन, वस्त्र, पाठ्यपुस्तक आदि के साथ–साथ सामान्य चिकित्सा व्यवस्था भी उपलब्ध है।

गुरुकुल में रह रहे छात्र **उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद** के माध्यम से बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा भी देते हैं।

गुरुकुल, **महर्षि पाणिनि धर्मार्थ ट्रस्ट (रजि.)** द्वारा नियंत्रित स्वायत्त संस्था है। गुरुकुल में गुरु–शिष्य परंपरा की इकाइयों में सस्वर संस्कृत तथा आधुनिक (व्यवसायिक प्रशिक्षण भी शामिल) शिक्षा के इच्छुक सभी के लिए खुला है। नए पाठ्यक्रम शुरू करने की भी योजनाएं हैं। सुविधानुसार ऑनलाइन संस्कृत भाषा, शिक्षा के प्रचार–प्रसार एवं भारतीय संस्कृति के संवर्धन तथा संरक्षण हेतु कार्यक्रम किए जाएंगे।

भारतीय संस्कृति के संरक्षण हेतु गुरुकुल में समय–समय पर विभिन्न विषयों पर संगोष्ठी /कार्यशाला /शिविर (योग, संस्कृत संभाषण आदि) प्रतियोगिताओं के साथ राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक पर्वोत्सव आदि का भी आयोजन होता है।

गुरुकुल की संपूर्ण गतिविधियों का संचालन महर्षि पाणिनि धर्मार्थ ट्रस्ट (रजि.) द्वारा किया जाता है।

कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी

(• भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य देखभाल स्वच्छता सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, स्वच्छता को बढ़ावा देना और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।

• शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के बीच विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के बीच व्यवसायिक दक्षता को बढ़ाने वाले रोजगार और रोजगार को बढ़ावा देना।

• लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए घर और छात्रावास स्थापित करनाय वृद्धाश्रम की स्थापना, और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए ऐसी अन्य सुविधाएं

• पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, वायु और जल की गुणवत्ता को बनाए रखना।

• राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति, कला के कार्यों का संरक्षण, सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का प्रचार और विकास

• ग्रामीण खेलों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण

• ग्रामीण विकास परियोजनाएं।

• आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियों सहित)

उक्त सभी शीर्षकों में CSR निधि द्वारा गुरुकुल के भी कार्य किए जा सकेंगे। इन सभी शीर्षकों का गुरुकुल स्थायित्व, ग्रंथालय, भारतीय साहित्य एवं पुराणों के पांडुलिपियों का संरक्षण, गुरुकुल में रह रहे छात्रों के कल्याण कार्य, वैदिक संग्रहालय की स्थापना, समय–समय पर अन्य गुरुकुल एवं गुरु–शिष्य परंपरा की इकाइयों को अनुदान तथा अन्य आधुनिकीकरण की व्यवस्था का संबंध होगा।

गुरुकुल /गुरुकुल पुरोहित सेवा/ गुरु–शिष्य परंपरा की इकाइयों को चलाने, वेद तथा शिक्षा एवं भारतीय संस्कृति के प्रसार के लिए CSR निधि

- CSR कोष से भी निधि प्राप्त कर गुरुकुलध गुरु–शिष्य परंपरा की इकाई/ महर्षि पाणिनि वेद–वेदांग विद्यापीठ गुरुकुल चलाने तथा गुरुकुल योजना चलाने हेतु/ शिक्षा व्यवस्था हेतु भोजन, आवास, रखरखाव आदि हेतु आर्थिक सहायता देना एवं उनमें आधुनिक शैक्षिक सुविधाएं , जैसे– भवन, ग्रंथालय, प्रोजेक्टर, शुद्ध पेयजल फिल्टर, कंप्यूटर, बेंच, टेबल, e-classroom, प्रवाह स्थिति में वेद गुरुकुल को CSR कोष से सहायता प्रदान करना

- ट्रस्ट के आंतरिक स्रोत से अनुदान के अतिरिक्त देश के प्रत्येक राज्य में संस्कृत भाषा/शिक्षा के लिए जनजागृति अभियान एवं संस्कृत भाषा तथा शिक्षा जो भारतीय सांस्कृतिक धरोहर हैं, उनके आयोजन, प्रचार, प्रसार हेतु CSR कोष से आर्थिक सहायता देना

- CSR निधि से गुरुकुल के छात्रों को विविध कौशल विकास द्वारा नाना उद्योगों के अनेक अवसर प्रदान करना, कौशल पूर्वक कार्य के अनेक सामर्थ एवं अवसरों की व्यवस्था करना, आर्थिक सहायता करना

- CSR निधि से आर्थिक सहायता प्राप्त कर ऋषियों द्वारा दृष्ट वेदादि में विद्यमान वैज्ञानिक ज्ञान के प्रति जन जागृति उत्पन्न करना एवं संस्कृत भाषा के प्रचार–प्रसार हेतु विविध संस्कृत ज्ञान परक पुस्तकों प्रकाशन करना

- भारतीय मनीषियों द्वारा दृष्ट भारतीय ज्ञान के प्रति समस्त राज्यों में, जनमानस में सच्ची श्रद्धा एवं जागृति उत्पन्न करना

- CSR निधि से आर्थिक सहायता प्राप्त कर गौशाला निर्माण करना एवं वैदिक कृषि पद्धति, जल संरक्षण आदि पर गुरुकुल के छात्रों का कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण देना

- CSR निधि से आर्थिक सहायता प्राप्त कर संस्कृत ग्राम विकास परियोजना हेतु प्रशिक्षण देना

- वैदिक वनौषधि उद्यान एवं गुरुकुल के छात्रों का वन औषधि ज्ञान अनुप्रयोग कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण देना

- वृद्धों के लिए वृद्ध आश्रम की व्यवस्था/दिव्यांग जनों की सहायता व्यवस्था एवं उसे CSR निधि से आर्थिक सहायता प्रदान करना।

अध्यापक एवं अन्य के कल्याण कार्य/रोग निवारण हेतु CSR कोष से सहायता निधि

- ट्रस्ट से अनुदानित गुरुकुल/गुरु–शिष्य परंपरा की इकाईयों में सेवा काल में अध्यापकों को किसी भी प्राण हानि होने की स्थिति/गंभीर बीमारी (लीवर, हृदय, किडनी, गला, फेफड़े, ब्रेन ट्यूमर, कोई भी कैंसर, सिरोसिस आदि) की स्थिति में 50 हजार रु. तक एक बार चिकित्सा हेतु तुरंत सहायता प्रदान करना

- ट्रस्ट से अनुदानित अध्यापकों के आश्रितों को किसी भी उच्च शिक्षा हेतु /मेधावी विद्यार्थियों को राष्ट्रीय आकांक्षा के अनुरूप अन्य आधुनिक विषयों के साथ नियमित उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु धनराशि के अभाव के कारण वंचित हो जाने की स्थिति में (उच्च शिक्षा में परीक्षा के आधार पर प्रवेश प्राप्त कर विद्यार्थी स्वयं फीस भरने में असमर्थ हो तो) 10 हजार रु. से 15 हजार रु. तक एक बार सहयोग राशि प्रदान करना

- गुरुकुल से सेवानिवृत्त अध्यापक, यदि किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाने की स्थिति में कष्टप्रद पारिवारिक स्थिति (अन्य आर्थिक स्रोत के अभाव में) को देखते हुए 25 हजार रु. से 35 हजार रु. तक एक बार चिकित्सा हेतु तुरंत सहयोग राशि प्रदान करना

- ट्रस्ट से अनुदानित गुरुकुल/गुरु–शिष्य परंपरा की इकाइयों के अध्यापक की सेवा काल में आकस्मिक निधन हो जाने पर उनके कष्टप्रद पारिवारिक स्थिति (अन्य आर्थिक स्रोत के अभाव में) को देखते हुए 1 लाख रु. तक एक बार तुरन्त सहयोग राशि प्रदान करना

- ट्रस्ट एवं गुरुकुल से संबद्ध एवं संस्कृत भाषा सेवा में जुड़े समस्त गुरुकुल कर्मियों की गंभीर बीमारी के कारण आपात की स्थिति में 50 हजार रु. तक एक बार सहयोग राशि प्रदान करना एवं आकस्मिक निधन हो जाने पर उनके पारिवारिक स्थिति (अन्य आर्थिक स्रोत के अभाव में) को देखते हुए 1 लाख रु. तक एक बार तुरंत राशि प्रदान करना

- गुरुकुल की शासी परिषद द्वारा CSR Rules अंगीकृत हैं। तदनुसार CSR निधि में सहयोग राशि प्रदान हेतु संस्कृत एवं वेदादि शिक्षा के संचालन में समर्पित कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ कंपनी के निदेशकों /समाज के दानदाता महानुभावों के समक्ष विनम्रता पूर्वक निवेदन प्रस्तुत है।

उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए (जो कंपनी कानून में सामान्यतः निर्दिष्ट है) प्राप्त CSR सहयोग निधि से राशि खर्च की जाएगी। सीएसआर निधि प्रबंधन एवं सहायता राशि स्वीकृति तथा जारी करने के लिए CSR नियम में एक समिति निर्दिष्ट है, उस समिति के समक्ष सभी प्रकरण प्रस्तुत किए जाएंगे। समिति की स्वीकृति से ही सहायता राशि प्रदान होगी।

सम्माननीय महोदय!

किसी भी विदेशी स्रोत से विदेशी मुद्राओं/विदेशी स्रोत द्वारा रुपये में सहायता राशि लेने हेतु अद्यतन नियम में गुरुकुल अधिकृत नहीं है। गुरुकुल, भारतीय न्यास पंजीकृत अधिनियम 1882 के अंतर्गत महर्षि पाणिनि धर्मार्थ ट्रस्ट (रजि.) द्वारा संचालित स्वायत्तशासी शैक्षिक संस्था है, इसलिए केवल भारतीय नागरिक एवं भारतीय कंपनियों से/भारतीय कंपनियों के स्रोत से ही CSR सहायता राशि रुपया में ही ट्रस्ट के निर्दिष्ट बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर द्वारा/ ड्राफ्ट द्वारा जमा हो सकती है।

सम्माननीय महोदय!

आप MPVV Vidyapeeth Gurukul & CSR सहायता निधि प्रदान करने के इच्छुक हैं तो राशि प्रदान करने से पूर्व, सहायता राशि प्रदान करने की अपनी इच्छा को ईमेल/लिखित रूप में parinitrust@gmail.com पर आगे दर्शाए गए विवरण के साथ गुरुकुल को अवश्य सूचित करें। आपसे ईमेल पर ही आप से ही में आपसे ई–मेल द्वारा ही संपर्क कर CSR निधि हेतु प्रपत्र भेजा जाएगा। इस संदर्भ में सिर्फ लिखित कम्युनिकेशन होगा।

कंपनी /व्यक्ति का नाम	
आधार संख्या (यदि व्यक्ति)	
नागरिकता (केवल भारतीय)	
पंजीकरण संख्या (यदि कंपनी)	
पता	
मोबाइल	
ईमेल	
MPVV विद्यापीठ गुरुकुल निधि के लिए दान करने की आपकी इच्छा राशिः)	
उद्देश्य जिसके लिए सीएसआर दान किया जाता है : –	
(वेद शिक्षा / संस्कृत शिक्षा / व्यावसायिक शिक्षा /वेद गुरुओं की स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, जिसमें निवारक स्वास्थ्य सेवा शामिल है)	

[Note: विदेशी स्रोत से/विदेशी नागरिक से विदेशी मुद्राओं/ विदेशी स्रोतों द्वारा रुपयों में सहायता राशि दान देने हेतु यदि कोई इच्छुक हैं, वे भी ई–मेल द्वारा सभी विवरण के साथ ट्रस्ट को अपना मंतव्य लिख सकते हैं। समिति में चर्चा के बाद भारत सरकार के संबद्ध मंत्रालयों की पूर्व जांच एवं स्वीकृति के बाद ही इस विषय में FCRA के अंतर्गत निर्णय होगा।)

प्रस्ताव सं .....: महर्षि पाणिनि धर्मार्थ ट्रस्ट (रजि.) और एमपीवीवी विद्यापीठ गुरुकुल द्वारा वेद–वेदांग, संस्कृत और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एमपीवीवी विद्यापीठ गुरुकुल द्वारा वित्त पोषित कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के नियमों को मंजूरी।

गवर्निंग काउंसिल ने वेद–वेदांग शिक्षा /संस्कृत शिक्षा / व्यावसायिक शिक्षा / स्वास्थ्य देखभाल संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए MPVV विद्यापीठ गुरुकुल के निगमित सामाजिक दायित्व (CSR) अनुदान नियमों को मंजूरी दी।

वेद–वेदांग शिक्षा / संस्कृत शिक्षा / व्यावसायिक शिक्षा / स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के लिए ट्रस्टी (महर्षि पाणिनि धर्मार्थ ट्रस्ट (रजि.)), एमपीवीवी विद्यापीठ गुरुकुल को इस संबंध में आगे की कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है।

स्वास्थ्य देखभाल संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले वेद–वेदांग, संस्कृत और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महर्षि पाणिनी धर्मार्थ ट्रस्ट (रजि.) और एमपीवीवी विद्यापीठ गुरुकुल द्वारा तैयार किए गए निगमित सामाजिक दायित्व (CSR) अनुदान नियमों को मंजूरी।

ट्रस्टी, महर्षि पाणिनि धर्मार्थ ट्रस्ट (रजि.) जी एफ 164 म्यू 1, द्वारा ग्रेटर नोएडा में आयोजित बैठक में ..... -. (तिथि) सभी ने महर्षि वेद–वेदांग विद्यापीठ गुरुकुल के कामकाज की समीक्षा करने के लिए सुझाव दिया था। वेद–वेदांग, संस्कृत और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए CSR निधि की संभावना का पता लगाना, एमपीवीवी विद्यापीठ गुरुकुल को विशालता प्राप्त करने वाली एवं स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना। उक्त बैठक के कार्यवृत्त को अनुबंध & ..... के रूप में रखा गया है।

प्रस्ताव संख्या ..... के अनुसार बैठक के उक्त कार्यवृत्त, CSR निधियों की स्वीकृति, प्रबंधन और उपयोग के लिए मसौदा नियमों को तैयार किया गया है और इसकी एक प्रति को अनुलग्नक के रूप में योजनाबद्ध किया गया है।

मौजूदा प्रावधान के अनुसार ..... ट्रस्ट के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (MoA), एमपीवीवी विद्यापीठ गुरुकुल सक्षम है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य स्रोतों से अनुदान प्राप्त करने के लिए, सभी या किसी भी गतिविधियों, कार्यक्रमों, योजनाओं, उद्देश्यों आदि के लिए। ट्रस्ट का MoA की एक प्रति अनुलग्नक के रूप में रखी गई है – .....

मसौदा नियमों को अनुमोदन के लिए शासी परिषद के समक्ष रखा गया है।

(नियम ट्रस्टी के निर्देशों के अनुसार, ग्रेटर नोएडा में जीएफ 164 म्यू 1, ट्रस्टी, महर्षि पाणिनी धर्मार्थ ट्रस्ट (रजि.) के निर्देशों के अनुसार तैयार किए गए नियम ..... की बैठक में उभरे और मिनट वहाँ पर संचारित।)

महर्षि पाणिनि वेद–वेदांग विद्यापीठ गुरुकुल

वेद–वेदांग, संस्कृत और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के लिए सीएसआर फंड की स्वीकृति, प्रबंधन और उपयोग के लिए नियम।

(इसकी बैठक में गवर्निंग काउंसिल के अनुमोदन के लिए रखा गया

पर आयोजित ..... (तिथि)

1. लघु शीर्षक

1.1 इन नियमों को महर्षि पाणिनि वेद–वेदांग विद्यापीठ गुरुकुल सीएसआर फंड (स्वीकृति, प्रबंधन और उपयोग) वेद–वेदांग, संस्कृत और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नियम कहा जा सकता है, स्वास्थ्य के प्रचार के लिए। (संक्षेप में – एमपीवीवी विद्यापीठ गुरुकुल, सीएसआर नियम)

1.2 ये नियम पूरे भारत में विस्तारित होंगे।

1.3 ये नियम MPVV विद्यापीठ गुरुकुल की संचालन परिषद द्वारा इन नियमों के तहत गठित प्रबंधन समिति और महर्षि पाणिनी धर्मार्थ ट्रस्ट (रजि.) के ट्रस्टी, ग्रेटर नोएडा द्वारा संचालित किए जाएंगे।

2. परिभाषाएँ

2 इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो : –

2.1 **CSR Funds** (स्वीकृति, प्रबंधन और उपयोग) वेद–वेदांग, संस्कृत और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नियम, स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना का अर्थ है कि गवर्निंग काउंसिल द्वारा अनुमोदित नियम, जो एमपीवीवी विद्यापीठ गुरुकुल द्वारा निर्मित निधि से लागू योगदान से प्राप्त है। वेद–वेदांग, संस्कृत और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अनुसार विभिन्न कंपनियों का कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व बजट।

2.2 **"CSR Fund Management Committee"** का अर्थ है महर्षि पाणिनि वेद–वेदांग विद्यापीठ गुरुकुल के CSR फंड के प्रबंधन के लिए एमपीवीवी विद्यापीठ गुरुकुल की शासी परिषद द्वारा गठित सीएसआर फंड प्रबंधन समिति।

2.3 **''फंड''** का अर्थ है सीएसआर फंड का कोष, जो विभिन्न कंपनियों से प्राप्त सीएसआर फंडिंग के योगदान के साथ–साथ स्वैच्छिक दान और किसी अन्य गैर–सरकार से मिलने वाले अनुदान से है। इस निधि के उद्देश्य के लिए स्रोत। इस निधि में सरकार से प्राप्त कोई अनुदान नहीं होगा। सूत्रों /भारत का समेकित कोष

एक राष्ट्रीयकृत बैंक में "एमपीवीवी विद्यापीठ गुरुकुल –सीएसआर फंड" के नाम से एक अलग बैंक खाता खोला जाएगा। एमपीवीवी विद्यापीठ गुरुकुल खोल की गवर्निंग काउंसिल सीएसआर फंड के कॉर्पस के संरक्षक होते हैं, जिनकी शक्ति दिन–प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए सीएसआर–फंड प्रबंधन समिति को सौंप दी जाती है।

२.४ **''ब्रह्मचारी''** का अर्थ है गुरुकुल में पढ़ाई रहना और पढ़ाई करना। जो हृदय से वेदांग (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद) और सामान्य संस्कृत के साथ किसी भी वेद संहिता का पाठ कर सकते हैं, जिन्होंने मौखिक परंपरा वेदों या संस्कृत के प्रचार और प्रसार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

2.5 वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य के लिए ''ब्रम्हचारी'' शब्द में गुरुकुल की मौखिक परंपरा के संरक्षण के लिए किसी भी जूनियर और सब–जूनियर ब्रम्हचारी अध्ययन शामिल होंगे।

2.6 **''ट्रस्टी''** का अर्थ महर्षि पाणिनी धर्मार्थ ट्रस्ट (रजि.) का सदस्य है।

2.7 **''ट्रस्ट''** का अर्थ है महर्षि पाणिनि धर्मार्थ ट्रस्ट (रजि.), जिसके अधीन MPVV विद्यापीठ गुरुकुल संचालित है।

2.8 **''लेखाकार''** का अर्थ है कि लेखाकार, जो एमपीवीवी विद्यापीठ गुरुकुल में नामित है, अपने खातों के उचित रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

2.9 **''वेद और वेदांगों पर कार्यक्रम या प्रतियोगिता''** का अर्थ है वेद महोत्सव। वेद सम्मेलन। श्रुति–यज्ञ, वैदिक / साहित्य / व्याकरण / न्याय / ज्योतिष कार्यशालाएँ, वेद / शोलक अंत्यक्षरी, वेद पारायण, शास्त्रार्थ, विद्वत संगोष्ठी। संस्कृत शिक्षा पर सार्थक गतिविधियों को बढ़ावा देने जैसे गुरुकुल के उद्देश्य। हालांकि, इसमें कोई स्मार्त कर्म–पूजा, पूजा और व्रत शामिल नहीं हैं।

2.10 **''केंद्रीय सतर्कता आयोग''** का अर्थ है केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत की संसद द्वारा स्थापित।

2.11 **(वेद और वेदांगों का संवर्धन)** से तात्पर्य है, गतिविधियों का पूरा समूह इन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनमें गतिविधियाँ भी शामिल हैं –

क. वेदों की अधिक संख्या बनाकर वेदों की मौखिक परंपरा का संरक्षण सीएसआर समर्थन द्वारा शिक्षक (गुरुकुल और गुरु–शिष्य परम्परा इकाइयों में)

ख. वेद स्वाध्याय और वेद परायण का आयोजन

ग. आम जनता के बीच वैदिक ज्ञान, वैदिक परंपरा और परम्परा के बारे में जागरूकता फैलाना।

घ. वेदों और वैदिक ज्ञान को व्यापक रूप से जनजातीय क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्रों और एनसीआर

आदि में हर राज्य में होने वाली पूर्व गतिविधियों के माध्यम से आम जनता के लिए सुलभ बनाना।

ड़. वैदिक विचार के अनुसार जीवन के बारे में आध्यात्मिकता और समझ का गहरा स्तर सही और उच्च क्षमता प्रदान के लिए अधिकतम लोगों तक पहुँचना

च. आधुनिक दुनिया में वेद और वेदांगों की उपयोगिता और ज्ञान को स्वीकार्य मानकों के परीक्षण के माध्यम से स्थापित करना।

छ. कोई अन्य गतिविधि जो वेद–वेदांगों और वैदिक ज्ञान पर किसी भी या उपरोक्त सभी गतिविधियों को बढ़ावा देती है।

2.12 **''संस्कृत और व्यावसायिक शिक्षा''** गुरुकुल प्रणाली में पारंपरिक गुरु शिष्य परम्परा को बढ़ावा देती है।

क. सभी गुरुकुल प्रणाली में संस्कृत भाषा बोलने वाली भाषा। पारंपरिक शिक्षा के साथ–साथ आधुनिक शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

ख. आधुनिक शिक्षा के अनुसार हम कर्मकांड के प्रशिक्षण, योग के प्रशिक्षण, अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण के रूप में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करेंगे।

ग. हर कोर्स में हमारे पास अलग–अलग सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, जिसमें छात्र भाग ले सकते हैं और अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जीवन उनके जीवन को आसान तरीके से जीते हैं। व्यावसायिक शिक्षा कौशल और ज्ञान के साथ–साथ आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है।

घ. व्यावसायिक शिक्षा में सभी स्मार्त कर्म–पूजा, पूजा और व्रत, पोरोहित्य कर्म आदि शामिल हैं।

2.13 **''स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना''** वर्षभर में चिकित्सा शिविर गुरुकुल मे आयोजित होते हैं।

क. मददगार व्यक्तियों को गुरुकुल की ओर से कुछ प्रेरणा मिली।

ख. दैनिक आधार श्रम में उनके पास गुरुकुल सुविधाएं प्रदान करने के लिए दवा की सुविधा नहीं है

ग. जब भी जरूरत हो प्राथमिक चिकित्सा किट हमेशा उपलब्ध कराई जाती है।

3. सीएसआर–फंड के उद्देश्य

निधि का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

3.1 ट्रस्ट के गुरुकुल / प्रशिक्षण केंद्र योजना के स्वीकृत मापदंडों और ऐसे गुरुकुल द्वारा अनुरक्षित छात्र की अनुमोदित संख्या के अनुसार गुरुकुल खोलने के लिए प्राथमिकता के आधार पर उत्कृष्ट गुरुकुल / प्रशिक्षण केंद्र को उपयुक्त सहायता प्रदान करना।

3.2 ऐसे वेद गुरु और प्रशिक्षकों को बनाए रखने वाले छात्र को अनुमोदित संख्या में MPVV विद्यापीठ गुरुकुल के प्रशिक्षण केंद्र योजना के रूप में गुरुकुल / प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए प्राथमिकता के आधार पर उत्कृष्ट ब्रह्मचारी / प्रशिक्षणार्थियों को उपयुक्त सहायता प्रदान करना।

3.3 पारंपरिक और संस्कृत भाषा सीखने के लिए आम लोगों के लाभ के लिए सुबह या शाम की कक्षाओं के लिए अंशकालिक गुरुकुल खोलने के लिए।

3.4 पुस्तकालय, कंप्यूटर, पुस्तकें, सीडी / डीवीडी ई–कक्षा आधुनिक श्रेणी आदि के लिए अन्य गुरुकुलों का infrasnuctuial समर्थन प्रदान करना।

3.5 वेद–वेदांग स्वाध्याय, वेद / ज्योतिष / व्याकरण सभा और वेदना परायण सहित घान परायण को मौखिक परंपराओं वेद–वेदांगों / गुरुकुलों के संरक्षण के लिए अनुमोदित विद्वान के अनुसार सहायता प्रदान करना।

3.6 वैदिक / संस्कृत ज्ञान और उसकी उपयोगिता से छात्रों को अवगत कराने के लिए स्कूली छात्रों के लिए ६ "से ९ या १२ तक के स्टैंडर्ड ऑफ स्टेट बोर्ड्स और सीबीएसई के लिए वेद / व्याकरण / गीता / संस्कृत ओलंपियाड संचालित करना।

3.7 वेदों की संरक्षणता के लिए वेदों–वेदांगों पर प्रवचनों के साथ–साथ अन्य पारंपरिक शिक्षा (संस्कृत से संबंधित) लोकप्रिय और वैदिक और संस्कृत ज्ञान विभिन्न गतिविधियों के लिए आम जनता के लिए और अधिक सुलभ हो।

3.8 आध्यात्मिकता के गहन स्तर और जीवन के अल्पकालिक संस्कृत सीखने के पाठ्यक्रमों के बारे में सत्य और उच्च क्षमता के लिए अधिकतम लोगों तक पहुंचने के लिए।

3.9 सीएसआर फंड प्रबंधन समिति द्वारा विनियमन के तहत किसी भी अन्य और बोनाफाइड उद्देश्य को रिकॉर्ड किया जाना है।

4. ध्वनि के बाहर वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्रता

व्यक्तियों / संस्थाओं की निम्नलिखित श्रेणियां सीएसआर फंड से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं

4.1 भारत का कोई भी नागरिक जो गुरुकुल का ब्रह्मचारी है।

4.2 भारत का कोई भी नागरिक जो असाधारण खड़े होने का वेदपाठी संस्कृत विद्वान है

4.3 भारत का कोई भी नागरिक जो वेद–वेदांगों और संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए गतिविधियों में लगा हुआ है।

4.4 वेद–वेदांगों और संस्कृत सीखने की गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला कोई भी ट्रस्ट / सोसायटी, भारत सरकार के पंजीकरण के साथ दर्पण पोर्टल जैसी एजेंसियों के साथ पंजीकृत है और आईडी है। पैन, टैन आदि के रूप में लागू।

5. सीएसआर फंड प्रबंधन समिति की संरचना

फंड को सीएसआर फंड मैनेजमेंट कमेटी द्वारा प्रबंधित किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे –

1	महर्षि पाणिनि धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष (रजि.)	अध्यक्ष
2	महर्षि पाणिनी धर्मार्थ ट्रस्ट के ट्रस्टी (रजि.)	सदस्य–गोपनीयता और समन्वयक
3	महर्षि पाणिनी धर्मार्थ ट्रस्ट (रजि।) के	सदस्य
4	सीएसआर फंडिंग कंपनियों के एक नामिती (कंपनी के नाम के वर्णानुक्रम में एक वर्ष के रोटेशन के आधार पर)	सदस्य

6. सीएसआर फंड प्रबंधन समिति की कोरम टोर बैठकें

6.1 किसी भी बैठक के लिए कोरम से सीएसआर निधि प्रबंधन समिति की बिक्री के सदस्यों से कम नहीं।

6.2 वित्तीय सहायता का प्रत्येक अनुदान सर्वसम्मति से निर्धारित किया जाएगा। हालांकि, अंतर के मामले में, उपस्थित सदस्यों के बहुमत वोट और एक मामले पर मतदान होता है। टाई होने की स्थिति में, चेयरपर्सन के पास अतिरिक्त लागत वाला वोट होगा।

7. सीएसआर फंड प्रबंधन समिति की बैठकों के लिए व्यवसाय का संचालन

7.1 सीएसआर फंड प्रबंधन समिति अपनी सदस्यता में कोई भी स्थान खाली नहीं रखने पर कार्य कर सकती है, लेकिन कोरम का पालन करना होगा।

7.2 निधियुक्त बैलेंस ओ.टी. फंड को राष्ट्रीयकृत बैंकों में या अन्य किसी सरकार में एफडीआर में निवेश किया जाएगा। सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार उपकरण। स्वायत्त निकायों द्वारा फंड के निवेश पर भारत का

7.3 सीएसआर फंड प्रबंधन समिति को सीएसआर फंड के अनुदान के लिए प्रत्येक मामले को तय करते समय परिश्रम और सत्यापन प्रक्रिया का उपयोग करना चाहिए।

7.4 सीएसआर फंड प्रबंधन समिति वेद–वेदांग, संस्कृत और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई सीएसआर एचएमडी की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए स्वायत्त निकायों के लिए लागू नियमों, विनियमों, प्रस्तावों और वित्तीय स्वामित्व के किसी भी अन्य निर्देशों का पालन करेगी। परवाह करता है।

7.5 MPVVV विद्यापीठ गुरुकुल की गवर्निंग काउंसिल नए नियम बना सकती है, नियमों में नए प्रावधान जोड़ सकती है या मौजूदा नियमों में से किसी को भी प्रभावी नियमन, प्रबंधन या CSR फंड के निष्पादन के साथ संकलित किसी भी उद्देश्य के लिए निरस्त कर सकती है।

8. सीएसआर फंड प्रबंधन समिति की सदस्यता की अवधि

8.1 सीएसआर फंड मैनेजमेंट कमेटी का एक नामित सदस्य, जब तक कि उस अवधि की समाप्ति पर फिर से नामांकित नहीं किया जाता है, उसके नामांकन की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए सदस्य होगा।

8.2 सीएसआर फंड मैनेजमेंट कमेटी का एक नंबर उसकी मृत्यु, इस्तीफे या अविश्वास प्रस्ताव या अयोग्य मन या दोषी बनने या आपराधिक अपराध में नैतिक मर्यादा या ब्याज के सिद्ध संघर्ष में शामिल होने पर सदस्य बनने के लिए संघर्ष नहीं करेगा। निधि।

8.3 सदस्यता का इस्तीफा सीएसआर फंड मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष को दिया जाएगा और इस्तीफे की तारीख जो भी पहले हो, उसकी स्वीकृति के अभियान से या 30 दिनों की समाप्ति पर प्रभावी हो जाएगी।

9. सीएसआर फंड प्रबंधन समिति में रिक्तियां

सीएसआर फंड मैनेजमेंट कमेटी में रिक्तियों को गवर्निंग काउंसिल द्वारा भरा जाएगा और जब वे उत्पन्न होंगे।

10. सीएसआर निधि प्रबंधन समिति की बैठकें

10.1 सीआरएस फंड मैनेजमेंट कमेटी को जितनी बार सीएसआर फंड के कारोबार के लेन–देन के लिए ऐसा करना जरूरी होता है, लेकिन यह साल में कम से कम दो बार पूरा होता है।

10.2 सीएसआर फंड के संबंध में फंडिंग कंपनी / कंपनियों से प्राप्त कोई भी पत्र सीएसआर फंड मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों की अगली बैठक में लाया जाएगा।

10.3 सामान्य परिस्थितियों में, सीएसआर फंड मैनेजमेंट कमेटी के सभी सदस्यों को बैठक की तारीख, समय और स्थान और उसमें शामिल किए जाने वाले व्यापार के एजेंडा को निर्दिष्ट करने के लिए कम से कम सात दिन का नोटिस दिया जाएगा।

10.4 इस तरह के नोटिस के लिए आवश्यक होगा जब अध्यक्ष की राय में, प्रचलित प्रकृति के व्यवसाय को समिति द्वारा लेन–देन करना होगा। ऐसे मामलों में, सीएसआर फंड प्रबंधन समिति के अध्यक्ष टेलीफोन पर सदस्यों से परामर्श कर सकते हैं और अपनी राय रिकॉर्ड कर सकते हैं ध ई–मेल के माध्यम से एजेंडा पर स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं और चर्चा मिनटों में रिकॉर्ड कर सकते हैं।

11. वित्तीय सहायता पर क्वांटम

निधि के प्रारंभ होने की तिथि के अनुसार प्रस्तावित सहायता राशि निम्नलिखित होगी।

एसआई नं।

क्र. संख्या	गतिविधि	वित्तीय सहायता
1	गुरुकुल	कुल वार्षिक आवंटन के लिए – रु। 1.75 करोड़, निधि की उपलब्धता के अधीन। 25,000रु प्रति संस्कृत शिक्षक और रु। प्रति माह प्रतिमाह पर 20,000 रु आधुनिक विषय शिक्षक प्रति शिक्षक। छात्रों के निवास, भोजन, अध्ययन सामग्री, चिकित्सा और रखरखाव आदि के लिए 4500 रु / – प्रति माह।
2	संस्कृत भाषा शिविरों के लिए (एक वर्ष में 10)	कुल वार्षिक आवंटन – 20 लाख, फंड की उपलब्धता के अधीन। 2 लाख रु प्रति शिविर MPVV विद्यापीठ गुरुकुल योजना के अनुसार व्यय प्रमुख
3	व्यावसायिक शिक्षा केंद्र	कुल वार्षिक आवंटन – 1 करोड़ रुपये, फंड की उपलब्धता के अधीन।

		25,000 रु. प्रति संस्कृत शिक्षक और 20,000रु. प्रति माह प्रति विषय अन्य शिक्षक। छात्रों के आवास, भोजन, अध्ययन सामग्री, चिकित्सा और रखरखाव आदि के लिए 6000 रु. प्रति माह।
4	स्वास्थ्य देखभाल इकाई को बढ़ावा देने के लिए	कुल वार्षिक आवंटन – रु। 1 करोड़, निधि की उपलब्धता के अधीन। 35,000 रु. प्रति चिकित्सक और रु 30,000 रु. प्रति सहायता डॉक्टर प्रति माह। औषधि और उपादेय आदि।
5	सुबह / शाम गुरुकुल	कुल वार्षिक आवंटन – 1 करोड़ रुपये की उपलब्धता के अधीन। कक्षा मासिक 40 घंटे की अवधि मानदेय 10,000 रु. – प्रति विषय शिक्षक प्रति माह 12000 रु. – वार्षिक आकस्मिक।
6	राष्ट्रीय वेद/ व्याकरण / ज्योतिष /साहित्य सभा / समेलन (कभी भी एक वर्ष में 3)	कुल वार्षिक आवंटन – 30 लाख रु, निधि की उपलब्धता के अधीन। यह अधिकतम 10 लाख प्रति कार्यक्रम है। एमपीवीवी विद्यापीठ गुरुकुल के अनुसार व्यय प्रमुख।
7	क्षेत्रीय संस्कृत सम्मेलन/ विद्वत संगोष्ठी (किभी भी एक वर्ष 3)	कुल वार्षिक आवंटन – 18 लाख रु., निधि की उपलब्धता के अधीन। यह अधिकतम 6 लाख रु. प्रति कार्यक्रम है। एमपीवीवी विद्यापीठ गुरुकुल के अनुसार व्यय प्रमुख।

8	अखिल भारतीय संस्कृत सम्मेलन /अखिल भारतीय वेद–वेदांग महोत्सव (500 प्रतिभागियों के साथ 3 दिनों के लिए)	कुल वार्षिक आवंटन – 30 लाख रु., निधि की उपलब्धता के अधीन। यह अधिकतम 10 लाख रु. प्रति कार्यक्रम है। एमपीवीवी विद्यापीठ गुरुकुल के अनुसार व्यय प्रमुख
9	वेद पारायण (१) ४ दिनों के लिए ऋग्वेद पारायण के लिए एक समूह में ४ ब्रह्मचारी (२) ४ दिनों के लिए शुक्ल यजुर्वेद पारायण के लिए एक समूह में ४ ब्रह्मचारी (३) ६ दिनों के लिए हमारे समूह चार कृष्ण यजुर वेद परायण में ४ ब्रह्मचारी (४) ५ दिनों के लिए समा और अथर्ववेद परायण के लिए एक समूह में ४ ब्रह्मचारी।	कुल वार्षिक आवंटन – 20 लाख रु, निधि की उपलब्धता के अधीन। 2000 रु प्रति दिन ब्रह्मचारी। MPVV विद्यापीठ गुरुकुल के अनुसार अन्य व्यय प्रमुख
10	वेद / व्याकरण / गीता / संस्कृत ओलंपियाड कक्षा 6 से 9 या 12 तक के स्कूली छात्र–छात्राओं के लिए	कुल वार्षिक आवंटन – 10 लाख रुपए, निधि की उपलब्धता के अधीन। पुरस्कार – पदक के साथ 95 अंक हासिल करने वालों को 1500 रु। पदक के साथ 90 अंक हासिल करने वालों को 1000 रु.। पदक के साथ 85 अंक हासिल करने वालों को 500 रु.। पास होने वालों को प्रतिभागी प्रमाण पत्र।
11	योग शिविर	कुल वार्षिक आवंटन – रु। 10 लाख, निधि की उपलब्धता के अधीन। इसमें अधिकतम 2.5 लाख रु. प्रति कार्यक्रम। एमपीवीवी विद्यापीठ गुरुकुल के अनुसार व्यय प्रमुख।

12	वेद–वेदांग कार्यशालाएं / सेमिनार	कुल वार्षिक आवंटन – 24 लाख रुपये, निधि की उपलब्धता के अधीन। भोजन / आवास और यात्रा पर खर्च 80–100 प्रतिभागियों के लिए 8 लाख रु. प्रति कार्यक्रम।

ऊपर दिए गए विभिन्न खंडों के तहत वित्तीय सहायता सीएसआर फंड प्रबंधन समिति द्वारा धन की उपलब्धता के अधीन फिर से देखी जा सकती है।

12. विशेष परिस्थितियों में सीएसआर निधि प्रबंधन समिति को अधिकार

सीएसआर फंड मैनेजमेंट कमेटी सहायता के लिए मंजूरी दे सकती है, योग्य मामलों में, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, लेकिन वेद–वेदांग, संस्कृत और व्यावसायिक शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के लिए, सीएसआर पाया प्रबंधन ट्रस्ट के माननीय राष्ट्रपति द्वारा या किसी भी सीएसआर फंडिंग स्रोतों द्वारा समिति। प्रत्येक मामले के लिए परिस्थितियां और अनुमोदन के लिए कारण सीआरएस द्वारा लिखित प्रबंधन समिति द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने हैं। इस खंड के तहत, अधिकतम राशि उस वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल योगदान का 20ः से अधिक नहीं होगी।

13. अन्य संसाधनों से प्राप्त सहायता के बारे में जानकारी का प्रकटीकरण

सभी आवेदकों को शपथ पत्र पर किसी भी ईथर स्रोत ध सरकारी स्रोतों से प्राप्त वित्तीय सहायता के बारे में जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।

सहायता के अनुदान के लिए प्रक्रिया

14. सीएसआर फंड प्रबंधन समिति के लिए आवेदन

सीएसआर फंड से वित्तीय सहायता के लिए एक निर्धारित आवेदन ट्रस्टी, महर्षि पाणिनी धर्मार्थ ट्रस्ट (रजि.) को संबोधित किया जाएगा जो एफसी के माननीय सदस्यों से प्रमाणीकरण /अग्रेषण के साथ सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों / संस्थाओं द्वारा निर्धारित प्रदर्शनों में FC/GC/G1A/CSR / सीएसआर फंड मैनेजमेंट कमेटी / संस्कृत विश्वविद्यालयों के कुलपति / वेद के प्रमुख / भारतीय विश्वविद्यालय के संस्कृत / गुरुकुल / प्रख्यात व्यक्ति / वित्त पोषित कंपनियां।

15. आवेदन पर विचार

कोष से वित्तीय सहायता के लिए सभी आवेदनों पर सीएसआर फंड प्रबंधन समिति द्वारा विचार किया जाएगा और जहां सीएसआर फंड प्रबंधन समिति किसी भी कारण से निकट भविष्य में बैठक नहीं कर रही है, इसलिए प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जा सकता है और संचलन द्वारा निपटाया जा सकता है।

16. अनुदान रोकने की शक्ति

सीएसआर फंड मैनेजमेंट कमेटी की अध्यक्ष/अध्यक्षा, यदि वह ऐसा करना चाहता/चाहती है या लिखित रूप में दर्ज किए जाने के कारणों के बारे में सोचता/ सोचती है, तो अच्छे विश्वास के साथ इस योजना के तहत दिए गए मेरे अवांछित अनुदान को रोक सकता/सकती है या कम कर सकता/ सकती है।

17. फंड का प्रबंधन

शासन / परिषद द्वारा जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुसार निधि को कड़ाई से प्रबंधित किया जाएगा। भारत और इस संबंध में कोई वैधानिक प्रावधान और केंद्रीय सतर्कता आयोग आयकर और अन्य अधिकारियों द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन में भी। हालांकि, सीएसआर फंड का उपयोग केवल वेद–वेदांग, संस्कृत और व्यावसायिक शिक्षा के प्रचार–प्रसार, स्वास्थ्य के विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए।

एमपीवीवी विद्यापीठ गुरुकुल सीएसआर वित्त पोषित गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिए किराए पर मुफ्त कार्यालय स्थान और सहायक बुनियादी ढाँचा प्रदान करेगा, जो वेद–वेदांग, संस्कृत और व्यावसायिक शिक्षा की प्रचार गतिविधियों के भीतर हैं, स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देते हैं।

18. फंड पर निगरानी और पूछताछ

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पास फंड के प्रबंधन की जांच के आदेश देने की शक्ति है और कोई निर्देश जारी करेगा।

19. अध्यक्ष – शक्तियाँ और कार्य

सीएसआर फंड मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष के पास फंड के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए फंड प्रबंधन समिति द्वारा अपनाए गए संकल्पों के अनुसार फंड को प्रबंधित करने, वितरित करने और विनियमित करने की शक्ति होनी चाहिए और संबंधित वैधानिक प्रावधानों और भारत सरकार के अनुपालन में केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देश सहित। ऐसे मामलों में जहां समिति का अध्यक्ष ऐसा करने के लिए फिट बैठता है, लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, आपातकाल में एक आवेदन पर विचार कर सकता है और स्वीकार्य राशि का 50 प्रतिशत तुरंत जारी कर सकता है और संचलन द्वारा समिति की स्वीकृति प्राप्त कर सकता है या इसकी अग्रिम मीटिंग में।

20. समन्वयक – शक्तियाँ और कार्य

सभी संकल्प सीएसआर फंड मैनेजमेंट कमेटी के नाम पर होंगे और महर्षि पाणिनी धर्मार्थ ट्रस्ट (रजि.) के अध्यक्ष, सीएसआर फंड मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष और सीएसआर फंड मैनेजमेंट कमेटी के को–ऑर्डिनेटर के हस्ताक्षर हैं।

यह समन्वयक का कर्तव्य होगा

1. भारत सरकार के लेखांकन मानदंडों के अनुसार सीएसआर फंड के नियमित खाते रखें,

2. प्रक्रिया के अनुसार प्राप्तकर्ताओं को धन जारी करने के लिए अध्यक्ष / सीएसआर निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित मामलों की प्रक्रिया करें,

3. सीएसआर फंड प्रबंधन समिति के सभी रिकॉर्ड के संरक्षक बनें,

4. चेयरमैन की पूर्व स्वीकृति के साथ सीएसआर फंड मैनेजमेंट कमेटी की ओर से आधिकारिक पत्राचार का संचालन करें।

5. सीएसआर फंड मैनेजमेंट कमेटी की बैठक को चेयरमैन की पूर्व स्वीकृति के साथ बुलाने के लिए सभी नोटिस को रद्द कर दिया।

6. सीएसआर फंड प्रबंधन समिति की सभी बैठकों के मिनट्स रखें,

7. लेखा परीक्षा के लिए सीएसआर फंड की खाता बही जमा करें जैसा कि जीसी द्वारा अनुमोदित है

8. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निधि का व्यय और व्यय खाता तैयार करें और इसे सीएसआर फंड प्रबंधन समिति ६ एफसी ६ जीसी के समक्ष रखें।

9. सीएसआर फंड मैनेजमेंट कमेटी ६ चेयरमैन द्वारा समय–समय पर उन्हें सौंपे गए किसी भी अन्य कार्य का निर्वहन करना।

इस अतिरिक्त कार्य के लिए समन्वयक को सीएसआर कोष से मानदेय के रूप में 2000 रु. प्रति माह का भुगतान किया जाएगा।

21. फंड की जमा और संपत्ति

21.1 सीएसआर फंड में विभिन्न कंपनियों के साथ–साथ अन्य स्वैच्छिक दान और इस फंड के उद्देश्य के लिए किसी अन्य गैर–सरकार से स्रोतों से प्राप्त योगदान शामिल होंगे। योगदानकर्ताओं को डच्टट विद्यापीठ गुरुकुल फंड का नाम चेयरमैन ध सीएसआर फंड मैनेजमेंट कमेटी की पूर्व स्वीकृति और निर्धारित प्रपत्र में दाता के पूर्ण विवरणों के प्रकटीकरण के बाद ही प्राप्त होगा, जिसे www.paninigurukul.org की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

21.2 सीएसआर फंड में सभी वित्तीय योगदान डिजिटल उपायों के माध्यम से या डिमांड ड्राफ्ट / क्रास चेक के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे और महर्षि पाणिनी धर्मार्थ ट्रस्ट (रजि.) को जमा किए जाएंगे । ट्रस्ट का एक राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जाएगा, जिसे महर्षि पाणिनी धर्मार्थ ट्रस्ट (रजि.) के ट्रस्टी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा।

22. निधि का आवंटन

सीएसआर फंड मैनेजमेंट कमेटी गवर्निंग काउंसिल की मंजूरी के साथ, इस योजना के विभिन्न प्रयोजनों के लिए मंजूरी और रिलीज के लिए उपलब्ध कुल फंड का अनुपात एक विशेष वर्ष में निर्धारित कर सकती है। हालाँकि, सीएसआर फंड के एक कोष को विकसित करने के लिए, शुरू में दो साल के लिए (फंड में उपलब्ध राशि के आधार पर पांच साल तक बढ़ाई जा सकती है), प्राप्त किए गए वार्षिक अंशदान का केवल 50 प्रतिशत विभिन्न प्रयोजनों के लिए मंजूर और वितरित किया जाएगा। इसके बाद शासी परिषद और सीएसआर फंड प्रबंधन समिति के अनुमोदन के साथ, पूर्ववर्ती वर्ष में सीएसआर फंड पर अर्जित ब्याज वह फंड के उद्देश्य के लिए सफल वर्ष में मंजूरी और रिलीज के लिए उपलब्ध अधिकतम राशि होगी।

23. धन की निकासी

23.1 सीएसआर फंड के खातों से कोई भी निकासी, फंड मैनेजमेंट कमेटी द्वारा अनुमोदित महर्षि पाणिनी धर्मार्थ ट्रस्ट (रजि.) के अध्यक्ष और महर्षि पाणिनी धर्मार्थ ट्रस्ट (रजि.) के ट्रस्टी के संयुक्त हस्ताक्षर के तहत की जाएगी।

23.2 सीएसआर फंड की वस्तुओं के लिए फण्ड से निकाली जाने वाली धनराशि का तत्काल उपयोग एफडीआर में नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि कोष प्रबंधन समिति अधिशेष धन के निवेश के बारे में निर्णय नहीं ले लेती।

23.3 फंड से सभी भुगतान डिजिटल उपायों जैसे पीएफएमएस / आरटीजीएस और केवल चैक के माध्यम से किए जाएंगे।

24. MPVV विद्यापीठ गुरुकुल के तहत सीएसआर समर्थित गतिविधियों के लिए कर्मचारियों की सहभागिता

24.1 सीएसआर फंड मैनेजमेंट कमेटी अस्थायी रूप से एक क्लर्क को आउटसोर्सिंग के आधार पर स्नातक की शैक्षिक योग्यता के साथ संलग्न कर सकती है ताकि फंड के रिकॉर्ड, फाइलें, और पत्राचार आदि और एमटीएस जैसे सहयोगी स्टाफ को रख सकें, क्योंकि यह इसके निर्वहन के लिए आवश्यक माना जा सकता है। प्रभावी ढंग से कार्य करता है।

24.2 फंड और उसकी गतिविधियों के विस्तार पर, फंड प्रबंधन समिति द्वारा अतिरिक्त कर्मियों की सगाई का आकलन और विचार किया जाएगा।

24.3 व्यक्ति, जो ऊपर बताए गए हैं, अनुबंध के आधार पर होंगे और MPVV विद्यापीठ गुरुकुल के समान रूप से रखे गए संविदा कर्मचारियों पर लागू दर से या सीएसआर फंड से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

24.4 ब्रह्मचारी जिन्हें सीएसआर फंड से सीधे उनके नाम पर या ट्रस्ट / सोसायटी आदि के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, न तो MPVV विद्यापीठ गुरुकुल के कर्मचारी होंगे और न ही भारत सरकार के।

24.5 सीएसआर फंड की उपलब्धता के अधीन, निरंतरता के लिए किसी भी प्रतिबद्धता के बिना, और निधि के उद्देश्यों की संतोषजनक मूल्यांकन और पूर्ति के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

25. प्रशासनिक व्यय

सीएसआर फंड प्रबंधन समिति द्वारा किए गए प्रशासनिक व्यय जैसे वेतन और भत्तों पर व्यय, वेतन और भत्ते पर, यात्रा भत्ता और सदस्यों के दैनिक भत्ते पर और साथ ही सीएसआर निधि के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किए गए खर्च सीएसआर पर प्रभार्य प्रभार होंगे।

26. सदस्यों को पारिश्रमिक

भारत सरकार के निर्देशों के तहत लागू यात्रा और दैनिक भत्ता अल दरों को छोड़कर, सीएसआर फंड प्रबंधन समिति के सदस्यों के आधार पर कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा।

27. निधि का लेखा और लेखा–जोखा

सीएसआर फंड की नियमित आय ओ.टी. आय और व्यय का लेखा–जोखा एक प्रमाणित चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीएजी जैसे किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसे MPVV विद्यापीठ गुरुकुल द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, कोई भी ऑडिट शुल्क देय होगा और इसके आकस्मिक खर्च सीएसआर फंड का वैध खर्च होगा। ।

28. वार्षिक रिपोर्ट

सीएसआर फंड के कामकाज की एक वार्षिक रिपोर्ट, सदस्य–सचिव और कोष के समन्वयक द्वारा तैयार की जाएगी, जिसे चार्टर्ड अकाउंट / ऑडिटर द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, और सीएसआर फंड प्रबंधन समिति के अनुमोदन के बाद प्रस्तुत किया जाएगा। डच्टट विद्यापीठ गुरुकुल और भारत सरकार ने इसे महर्षि पाणिनी धर्मार्थ ट्रस्ट (रजि.) की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक खातों में शामिल करने के बाद।

29. विश्राम खंड

29.1 किसी भी वेद–वेदांग, संस्कृत और व्यावसायिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने, ऊपर दिए गए खंड 11 के अनुसार प्रचार गतिविधि, महर्षि पाणिनि धर्मार्थ ट्रस्ट (रजि.) के अध्यक्ष और सीएसआर फंड प्रबंधन समिति के अध्यक्ष की स्थिति में, अगर वह ऐसा करने के लिए उपयुक्त हैं, फंड प्रबंधन समिति को किसी भी शर्त में छूट की सिफारिश कर सकते हैं और संचलन द्वारा अनुमोदन प्राप्त करेंगे और वित्तीय सहायता के अनुमोदन और रिलीज का आदेश दे सकते हैं।

29.2 ऊपर दी गई मंजूरी को CSR फंड मैनेजमेंट कमेटी की बाद की माइनिंग में रिपोर्टिंग आइटम के रूप में रखा जाएगा।

30. सीएसआर निधि स्रोतों की प्राप्ति

ट्रस्ट / गुरुकुल / व्यावसायिक शिक्षा केंद्र / स्वास्थ्य देखभाल इकाई को बढ़ावा देना / कार्यक्रम का आयोजन करना

MPVV विद्यापीठ गुरुकुल के निर्देशों के अनुसार सीएसआर फंडिंग के स्रोतों के नाम बताए।

31. गैर–वेदांगों, व्यावसायिक शिक्षा केंद्र / स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सीएसआर–फंड के उपयोग पर प्रतिबंध।

सीएसआर फंड का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा, जो फंड के निर्माण के उद्देश्यों को पूरा नहीं करता है।

32. सीएसआर फंड का विघटन

सीएसआर फंड को भंग करने के लिए भारत सरकार के किसी भी कानूनी आवश्यकता या निर्णय की स्थिति में, सीएसआर फंड के क्रेडिट पर राशि को महर्षि पाणिनि धर्मार्थ ट्रस्ट (रजि.) को हस्तांतरित किया जाएगा ताकि डायन फंड के उद्देश्यों को स्थापित किया जा सके। डच्टट विद्यापीठ गुरुकुल के निर्देशों के अनुसार।